मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त–सितम्बर, 2001 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 4 सितम्बर, 2001 (भाद्र 13, 1923)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री नरेन्द्र सिंह तोमर, मुंशीलाल, अनूप मिश्रा, सदस्य, मुरैना जिले के सरस्वती नगर में एक महिला की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री नित्यनिरंजन खम्परिया, सदस्य, जबलपुर जिले के गोसलपुर ग्राम में स्थित संयुक्त उपक्रम बंद होने से उत्पन्न स्थिति की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री राजनारायण सिंह, सदस्य, खण्डवा जिले के –
- (क) ग्राम भोगाँवा स्थित माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने, तथा
- (ख) ग्राम पंचायत भोगाँवा के कृषकों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिलाये जाने,

(2) श्री धूलसिंह यादव, सदस्य, राजगढ़ जिले के –
- (क) नरसिंहगढ़–बेरसिया मार्ग से ग्राम हिनोती तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने, तथा
- (ख) ग्राम रोसला में प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाईस्कूल के लिए भवन निर्माण कराये जाने,

(3) श्री लालसिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम एण्डोरी में हाई स्कूल खोले जाने,

(4) सुश्री कुसुमसिंह, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम जिगदहा में हाई स्कूल खोले जाने,

(5) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, रीवा जिले के –
- (क) ग्राम पिपराही मुख्यालय में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
- (ख) ग्राम पिपराही स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,
- (ग) ग्राम पिपराही से जड़कुड़ तथा पिपराही से बहेराडाबर तक सड़क बनाये जाने,
- (घ) ग्राम मलैगवाँ में हाई स्कूल खोले जाने,
- (ङ) ग्राम जड़कुड़ स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने,
- (च) हनुमना–शाहपुर–बहुतीफाल मार्ग का डामरीकरण कराये जाने; तथा
- (छ) ग्राम मलैगवाँ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(6) श्री सोनेराम कुशवाह, सदस्य, मुरैना जिले के –
- (क) ग्राम डिड़ोखर में उप–स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने; तथा
- (ख) ग्राम जिन्दपुरा स्थित प्राथमिक विद्यालय को शासनाधीन किये जाने,

के सम्बन्ध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

4. वक्तव्य

(1) श्री हरवंश सिंह, वन मंत्री, दिनांक 22 मार्च, 2001 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 90 (क्रमांक–6931) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(2) श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री, दिनांक 28 अगस्त, 2001 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्रमांक–1792) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री हरवंश सिंह, वन मंत्री, मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) विधेयक, 2001 (क्रमांक 14 सन् 2001) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री हुकुम सिंह कराड़ा, ऊर्जा मंत्री, मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 15 सन् 2001) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

6. प्रतिवेदन पर चर्चा

निर्धारित समय 2 घन्टे

मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम प्रतिवेदन वर्ष 1996–97 की अनुशंसाओं का पालन प्रतिवेदन पर चर्चा.

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि.

मध्यप्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री नरेन्द्र सिंह तोमर, हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), नरेन्द्र बिरथरे, सुनील नायक, भूपेन्द्र सिंह, अनूप मिश्रा, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री रसाल सिंह, कुंवर विजय शाह, श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, श्री रणवीर सिंह एवं श्री लालसिंह, सदस्यगण, चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 3 सितम्बर, 2001

डॉ. ए. के. पयासी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.